



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-636

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 301301 दिनांक 12/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajeev Surana S/o Sajjan Raj Surana एवं Vibha Surana W/o Girish Mehta	श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा	13	494.62 SQ. YARD	Private	SHIV OFFICERS COLONY-D	Name Transfer	श्री राजीव सुराणा पुत्र एवं श्रीमती विभा सुराणा पुत्री श्री सज्जनराम सुराणा द्वारा निजी खातेदारी योजना शिव आफिसर्स का ँलोनी के भूखण्ड संख्या डी-13 क्षेत्रफल 494.62 व.ग. का नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी योजना शिव आफिसर्स का ँलोनी के भूखण्ड संख्या डी-13 क्षेत्रफल 494.62 व.ग. की लीज डीड दिनांक 23.1.2007 को श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण दिनांक 29.05.2007 को श्री सज्जन राम सुराणा पुत्र श्री सुकन राज सुराणा के पक्ष में जारी किया गया है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajeev Surana S/o Sajjan Raj Surana एवं Vibha Surana W/o Girish Mehta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |